

मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन
संसद सौघ
15 फरवरी, 1994
Chief Ministers' Conference
Parliament House Annexe
15 February, 1994, *New Delhi*

कार्यसूची एवं कार्यसूची टिप्पणियाँ
AGENDA AND AGENDA NOTES

NIEPA DC



D07940

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE

National Institute of Educational
Planning and Administration.

11/1, Sri Aurobindo Marg,

New Delhi-110016

ACC. No D. 7940

Date 21-2-94

मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन

संसद सौध

15 फरवरी, 1994

कार्यसूची

1. साक्षरता पर रा.वि.प. की समिति की रिपोर्ट
2. सभी के लिए शिक्षा के प्रस्ताव
3. शिक्षा के विकेंद्रीकृत प्रबन्धन पर केब समिति की रिपोर्ट

.....

CHIEF MINISTERS' CONFERENCE

PARLIAMENT HOUSE ANNEXE

FEBRUARY 15, 1994

A G E N D A

1. Report of the NDC Committee on Literacy
2. EFA proposals
3. Report of the CABE Committee on Decentralised Management of Education.

.....

मद संख्या । साक्षरता पर राष्ट्रीय विकास परिषद समिति
की रिपोर्ट

साक्षरता कार्यक्रम का सिंहावलोकन तथा स्थिति

प्रौढ़ शिक्षा की विभिन्न योजनाओं पर एक संक्षिप्त नोट अनुबन्ध-1 में संलग्न है । सम्पूर्ण साक्षरता अभियानों § जो कि सभी प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में एक मुख्य नीति है § की स्थिति तथा उपलब्धियों पर राज्यवार/जिला-वार सर्वेक्षण अनुबन्ध-11 में संलग्न है । साक्षरता कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं में समिति का प्रमुख सिफारिशों निम्नलिखित थी :

§1.1 प्रौढ़ शिक्षा : संरचनात्मक पहलू

समिति ने यह महसूस किया कि प्रौढ़ शिक्षा के साथ राष्ट्रीय राज्य तथा जिला स्तरीय संरचना के बीच घनिष्ठ सम्पर्क होना चाहिए ।

प्रौढ़ शिक्षा की राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तरीय संरचना की बीच पहले से एक घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित किया जा चुका है । प्रौढ़ शिक्षा ब्यूरो § शिक्षा विभाग § में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, प्रौढ़ शिक्षा की एक राष्ट्रीय शीर्ष निकाय है । राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण सम्पूर्ण साक्षरता अभियानों को कार्यान्वित करने के लिए एक उपयुक्त अधिकारप्राप्त दोहरा टांचा § परिषद तथा कार्यकारी समिति § है । कार्यकारी समिति की सदस्यता में शिक्षा सचिव तथा राज्यों से प्रौढ़ शिक्षा निदेशक शामिल होते हैं । कार्यकारी समिति की बैठकों में सम्पूर्ण साक्षरता अभियानों के प्रस्तावों पर जिला कलेक्टरों के साथ-साथ शिक्षा सचिव तथा सम्बन्धित राज्यों के प्रौढ़ शिक्षा निदेशकों ने विचार किया । जिला स्तर पर सम्पूर्ण साक्षरता अभियान एक प्रमुख प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है जो कि समाज के सभी वर्गों से लोगों को लेकर जिला कलेक्टर का अध्यक्षता में जिला साक्षरता समिति द्वारा तैयार किए

गर जिला कार्य योजना के आधार पर कार्यान्वित किया जाएगा। राज्यों की सहमति से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के सम्बन्ध में कलेक्टरों के साथ तीथा सम्पर्क स्थापित करेगा। केन्द्रीय प्रौद्योगिक शिक्षा निदेशालय को सम्पूर्ण साक्षरता अभियानों की प्रगति का अनुवीक्षण करने तथा जिला साक्षरता अभियानों की प्रगति का अनुवीक्षण करने तथा जिला साक्षरता समितियों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर मासिक स्थिति रिपोर्ट तैयार करने के लिए पहले से ही जिम्मेदारता सौंपी गई है।

§11.8 स्वैच्छिक एजेन्सियाँ

समिति ने यह भी सिफारिश की कि प्रौद्योगिक शिक्षा तथा इतने सम्बन्धित क्रियाकलापों के लिए सूक्ष्म-आयोजना परियोजनाओं को शुरू करने के लिए स्वैच्छिक एजेन्सियों को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा स्थायता प्राप्त करना चाहिए।

स्वैच्छिक एजेन्सियों की भूमिका को उनकी नवीनता तथा विशिष्ट सांस्कृतिक प्रोत्साहनों के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने महत्वपूर्ण माना गया है। जबकि सम्पूर्ण साक्षरता अभियान जिला-वार भागों में शुरू करने के लिए एक बड़ा प्रयास है, स्वैच्छिक एजेन्सियों को कठिन स्थानों में छोटे क्षेत्रों में कम लोगों को शामिल करके जैसा उन विशेष समस्याओं में जहाँ सम्पूर्ण साक्षरता अभियान सीधे शुरू नहीं हो पाया था तबता जहाँ साक्षरता कार्यक्रमों के लिए भाग उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है।

§11.9 प्रौद्योगिक शिक्षा: गैर-मैट्रिक पर्यटन

समिति ने यह महसूस किया कि प्रत्येक जीव-साध्य तथा अन्य प्रकार के तराकों को काफी हद तक प्रयोग किया जाना चाहिए।

यह भी माना गया है कि डिंट तथा औद्योगिक माध्यम से स्थायता प्राप्त लोक तथा निष्पादित योजनाओं के ठीक से तैयार करके सब-साक्षरता-निर्माण कार्यक्रमों के

सम्भावी शिक्षकों के बीच साक्षरता के लिए जागृति तथा मांग में वृद्धि की जा सकता है तथा सम्भावी कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया जा सकता है। राज्य संसाधन केन्द्रों ने पूरे देश में नियमित अन्तरालों में लेखकों तथा पत्रकारों की कार्यशालाओं का एक कार्यक्रम भी शुरू किया है। प्रत्येक पूर्ण साक्षरता अभियानों के जिलों में ऐसे प्रयासों के अलावा, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने राष्ट्रीय स्तर पर लोकजागरण के लिए वातावरण निर्माण कार्य भी प्रायोजित किया है। यह विभिन्न राज्यों में रैलियों, पैदल तथा साईकिल जत्थों तथा प्रशिक्षण कैम्पों के रूप में होगा।

§ 1/§ राज्य कार्यकारी समिति

समिति ने यह भी सिफारिश की कि सभी राज्यों/संघशासित प्रशासनों में पूर्ण साक्षरता अभियानों के प्रस्तावों को शुरू करने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की एक राज्य कार्यकारी समिति गठित की जानी चाहिए।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की तरह ते ही कुछ राज्यों ने पूर्ण साक्षरता अभियानों की जांच करने के लिए राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का गठन किया है। हमें आशा है कि इन राज्यों द्वारा भी ऐसे निकाय गठित किए जाएंगे।

§ 1/§ चुने गए प्रतिनिधियों को शामिल करना।

समिति ने यह भी महत्त्व दिया कि कार्य योजनाओं को तैयार करते समय चुने गए प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

जिला साक्षरता समितियों के मार्गदर्शन तथा पर्यवेक्षण के लिए विधायकों को भी शामिल करना चाहिए। पूर्ण साक्षरता अभियानों का व्यावसायिक आयोजन तथा उन्हें तैयार करने का कार्य कार्यकारी समिति तथा जिला साक्षरता समिति का है।

उपरोक्त के अलावा, निम्नलिखित विषयों को भी विचारार्थ सम्मेलन के सम्मक्ष रखा जाएगा :

४।४ राज्य कार्य योजनाएं

राष्ट्रीय विकास परिषद समिति ने यह सुझाव दिया की सभी राज्य सरकारों तथा संघशासित प्रशासनों को जितनी जल्दी हो सके निरन्धरता को दूर करने के लिए राज्य/संघशासित प्रशासन के लिए एक विस्तृत जिला-वार कार्य योजनाएं तैयार करनी चाहिए तथा हर हालत में 2000 ईसवीं तक निरन्धरता को दूर करने के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकारों से राज्य कार्य योजनाएं तैयार करने तथा उन्हें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है । तथापि, कुछ राज्यों को छोड़कर, राज्य सरकारों से ऐसी योजनाएं अभी प्राप्त होनी बाकी है । राष्ट्रीय संस्थापनों, सामुदायिक प्रयासों की गतिशीलता आदि को बढ़ावा देने के लिए आयोजना के कार्यों के लिए राज्य कार्य योजनाओं के महत्व को भी नहीं मुलाया जा सकता है । तदनुसार राज्य सरकारों से अनुरोध है कि वह राज्य कार्य योजनाओं को शीघ्र ही अंतिम रूप प्रदान करके उन्हें प्रस्तुत करें ।

पूर्ण साक्षरता अभियानों में राज्य का हिस्सा पूर्ण साक्षरता अभियान की लागत का एक तर्काई है । अधिकतर मामलों में, तनाधियों का केन्द्रीय तस्सा प्रदान किए जाने तथा पूर्ण साक्षरता अभियानों की प्रगति पर राज्य के हिस्से की राशि के देर से प्राप्त होने पर बाधा पड़ा है ।

राज्य में अभियान आरंभ करने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच एक समन्वित दृष्टिकोण, निधियां विमुक्त करने में होने वाले अनावश्यक विलम्ब को दूर करेगा। इस संदर्भ में, राज्य कार्यवाही योजना का प्रतिपादन, विशेष महत्त्व रखता है तथा यह योजना, राज्य तथा केन्द्र सरकारों की योजनाओं में सही समन्वय स्थापित करेगी।

§2§ "सभी के लिए शिक्षा" योजना का वितरण तंत्र:-

साक्षरता पर राष्ट्रीय विकास परिषद समिति ने, प्रारंभिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा पर संयुक्त रूप से बल देने तथा इन दोनों उप-क्षेत्रों के वितरण तंत्र में अधिकाधिक समन्वय स्थापित करने हेतु निर्देशित किया है। प्रारंभिक शिक्षा, प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रमों तथा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के क्षेत्र, विशेष रूप से परस्पर सम्मिलित हैं तथा ये तीनों मिलकर बुनियादी शिक्षा के भाग को संघटित करते हैं। "सभी के लिए शिक्षा" योजना के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इन तीनों सेवाओं के प्रावधान में, आपसी समन्वय अपेक्षित है। प्रारंभिक शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन से, जनसंख्या के लक्षित आयु वर्ग के निरक्षरों की बढ़ोतरी पर प्रभावशाली नियंत्रण होगा तथा निरक्षरता उन्मूलन का काम सरल बन जाएगा इसी तरह, सफल साक्षरता अभियानों से अधिकाधिक कवरेज सहित प्राथमिक शिक्षा सेवाओं के लिए माँग बढ़ जाएगी। अतएव, इन तीनों कार्यक्रमों को एक समेकित वितरण तंत्र के अधीन काम करने की आवश्यकता है।

§3§ उत्तर साक्षरता तथा पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सेवाओं की समाभिरूपता

उत्तर साक्षरता कार्यक्रमों का मुख्य बिन्दु, नवसाक्षरों को आत्मनिर्भर शिक्षार्थी बनाना है। उनकी साक्षरता दक्षताओं को परिष्कृत करने के साथ-साथ इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य, नवसाक्षरों को उस सामग्री से अवगत कराना है, जो उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं द्वारा उनके लिए उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने योग्य बना सके। स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास तथा अन्य विभागों के विभिन्न सरकारी कार्यक्रम, उत्तर साक्षरता केन्द्र के प्रभाव से वितरण तंत्र के समाभिरूप होने चाहिए।

प्रभावी तथा सुव्यवस्थित सेवाओं की सुविधा प्रदान करने के लिए उत्तर साक्षरता कार्यक्रम के प्रयासों में, संविधान के 73 वें तथा 74 वें संशोधनों के माध्यम से सृजित नई पंचायती राज व्यवस्था की विशिष्ट भूमिका है। प्रत्येक राज्य के लिए उत्तर

साक्षरता कार्यक्रम को, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन व्यवस्थाओं को प्राप्त करना चाहिए। महिलाओं, अनु०जाति/अनु०जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधि, जो पंचायती राज संस्थाओं के कार्यसंचालन के सम्भावी सहभागी हैं, की एक बड़ी संख्या को शिक्षित करने तथा सुग्राही बनाने तथा उनमें अपनी भूमिका तथा जिम्मेदारियों में विशेष तौर पर उत्तर साक्षरता तंत्र को प्रयुक्त किया जाना चाहिए।

§4§ प्रशासनिक विचार:- जिलों के कलेक्टर/उप आयुक्त की, पूर्ण साक्षरता अभियान जिलों में सुसाधक के रूप में एक मुख्य भूमिका होती है। पूर्ण साक्षरता अभियानों में लगे अधिकतर कलेक्टरों की प्रतिक्रिया, समुदाय के सहयोग तथा सहभागिता से इस कार्यक्रम के प्रति बहुत उत्साहवर्धक है तथा यही बात, पूर्ण साक्षरता अभियानों की सफलता में महत्वपूर्ण है। जहाँ पर कलेक्टरों को पूर्ण साक्षरता अभियान के बीच में ही प्रायः स्थानान्तरित किया जाता है, ऐसी स्थिति में साक्षरता कार्यक्रमों में वास्तविक रूप से काफी नुकसान होता है। सामान्यतः पूर्ण साक्षरता अभियान की अवधि 12 महीनों से दो वर्ष की होती है। कलेक्टर को अभियान की पूर्ण अवधि तक एक स्थान पर रखने की अनिवार्य आवश्यकता है। इस संदर्भ में कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भारत सरकार के इस अनुरोध को प्रेषित किया है। पूर्ण साक्षरता अभियान की अवधि के दौरान कलेक्टरों के स्थानान्तरण प्रायः अभी भी होते हैं। इसके परिणामस्वरूप साक्षरता अभियान में बाधा आती रहती है।

कुछ राज्यों ने पूर्ण साक्षरता अभियान के निष्पादन को, कलेक्टरों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में मूल्यांकन का महत्वपूर्ण बिन्दु के रूप में शामिल किया गया है। यह निष्पादन जिला अधिकारी के लिए राष्ट्रीय विकास प्रयास में कार्यक्रम के महत्व को केन्द्रित करने तथा उस पर बल देने के लिए आवश्यक है। इसी तरह के मूल्यांकन मानदण्ड विकसित करने हेतु अन्य राज्यों को भी विचार करना है।

डिवीजन या क्षेत्र के प्रशासनिक स्तर पर साक्षरता कार्यक्रमों में विभिन्न सरकारी विभागों के डिवीजनल तथा क्षेत्रीय अध्यक्षों की अपेक्षित सहभागिता नहीं है। डिवीजनल कमिश्नरों के समतुल्य स्तर के अधिकारियों को साक्षरता तथा बुनियादी शिक्षा कार्यक्रमों में विशेष तथा महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी दी जानी चाहिए ताकि इन कार्यक्रमों की मानीटरिंग तथा प्रबन्ध सही हो।

चूंकि साक्षरता अभियान, समुदाय के लोगों तथा सरकारी विभागों के उत्साह, स्वेच्छा तथा स्वैच्छिक योगदान पर निर्भर करते हैं अतः एक ऐसा प्रावधान रखा गया है कि वे अधिकारी जो कि अन्य विभागों में काम करते हों, उन्हें भी पूर्ण साक्षरता अभियानों के लिए जिला साक्षरता समितियों में अतिरिक्त आधार पर प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। इस अवधि के लिए सम्बद्ध अधिकारी साक्षरता समिति के लिए मूल विभाग से अर्पण आधार पर लिया जाता है तथा साक्षरता अभियान में काम करते हुए वह अपना वेतन आदि मूल विभाग से प्राप्त करता है। इस प्रावधान से जिला साक्षरता समितियां साक्षरता प्रयास के लिए अधिकांश समर्पित अधिकारियों की सेवाएं ले सकती हैं। इस तरह की व्यवस्था, व्यावहारिक नहीं हो पाई है तथा अधिकतर राज्यों ने अपने अधिकारियों की सेवाओं को प्रदान करने की अनुमति भी नहीं दी है या अभी इस विषय में उनका निर्णय प्रतीक्षित है। साक्षरता प्रयासों को सुसाध्य बनाने में सभी राज्यों में अतिरिक्त आधार की प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया को निश्चयात्मक रूप से अनुमोदित किया जाए या नहीं, यह मामला विचारार्थ है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत योजनाएँग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाएँ

ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना एक काफी पुरानी योजना है जो 2 अक्टूबर, 1978 को राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने के साथ ही शुरू की गई थी। यह एक केन्द्र आधारित कार्यक्रम रहा है। मूल्यांकन अध्ययनों के निष्कर्षों और सिफारिशों तथा आन्तरिक मूल्यांकन के आधार पर योजना का पुनर्गठन किया गया तथा इसमें अनेक संरचनात्मक परिवर्तन किए गए। पूर्ण साक्षरता अभियानों की सफलता को देखते हुए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना को बंद कर दिया गया है। इन परियोजनाओं को अब केवल जम्मू और कश्मीर तथा अन्य दुर्गम स्थलों, पहाड़ी क्षेत्रों तथा अलग-अलग पड़े क्षेत्रों/पाकेटों में जारी रखने का प्रस्ताव है।

स्वैच्छिक सजेंतियाँ

प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक सजेंतियों को सहायता देने की केन्द्रीय योजना का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में बड़े पैमाने पर स्वैच्छिक सजेंतियों को शामिल करना है ताकि इन सजेंतियों को निर्धारित क्षेत्र में 15-35 आयु वर्ग में व्याप्त निरक्षरता उन्मूलन के लिए पूर्ण साक्षरता अभियानों तथा उत्तर साक्षरता अभियानों के कार्यान्वयन का दायित्व सौंपा जा सके। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा कार्यक्रमों को आयोजित करना, पाठ्यचर्या तथा तत्संबंधी सामग्री विकसित करना, नवाचार, प्रयोग तथा मूल्यांकन के लिए सम्मेलनों तथा संगोष्ठियों का आयोजन करना पुस्तकें प्रकाशित करना तथा इनसे संबंधित अन्य कार्यकलाप शुरू करना है। अब तक

7। स्वैच्छिक एजेंटियों को पूर्ण साक्षरता अभियान की परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। जिनमें लगभग 14 लाख शिक्षुओं को शामिल करना है।

कार्यात्मक साक्षरता का सामूहिक कार्यक्रम

साक्षरता कार्यक्रम में समाज के सभी वर्गों विशेष रूप से छात्रों तथा गैर छात्रों को स्वैच्छिक आधार पर शामिल करने के लिए यह योजना आरंभ की गई थी। इस योजना में मुख्य रूप से विश्व-विद्यालयों तथा कॉलेजों के राष्ट्रीय सेवा योजना तथा गैर राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्रों को शामिल किया जाता है। अभी हाल ही में इस कार्यक्रम में स्कूली छात्रों को भी शामिल किया गया है। प्रत्येक स्वयं सेवी से यह आशा की जाती है कि वह एक या एक से अधिक निरक्षर व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करें। राज्य संसाधन केन्द्रों के माध्यम से स्वयं सेवकों को निःशुल्क साक्षरता किटें प्रदान कराई जाती हैं। ये संसाधन केन्द्र मास्टर प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित भी करते हैं।

पूर्ण साक्षरता अभियान

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का मुख्य उद्देश्य वर्ष 1995 तक 15-35 आयु वर्ग के आठ करोड़ नागरिकों को साक्षर बनाना है। इस कार्य को पूरा करने के लिए निरक्षरता उन्मूलन के वास्ते एक महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में पूर्ण साक्षरता अभियान को अपनाया गया है।

पूर्ण साक्षरता अभियान को कुछ तत्कारात्मक विशेषताएँ हैं यथा, यह क्षेत्र विशिष्ट समयबद्ध स्वैच्छिक आधार पर प्रदान की जाने वाली नागर प्रभावी तथा परिणामोन्मुखी हैं।

पूर्ण साक्षरता अभियान का कार्यान्वयन जिला साक्षरता समितियों के माध्यम से किया जाता है। विशेष रूप से इन समितियों का गठन जिलाधीश की अध्यक्षता में किया जाता है। इन समितियों में समाज के सभी वर्गों के सदस्यों को शामिल किया जाता है।

जनवरी, 1994 तक पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों तथा चंडीगढ़ दमन और दिव दिल्ली और पांडिचेरी के तंत्र शासित क्षेत्रों के लगभग 258 जिलों को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से शामिल किया जा चुका है।

इसके अलावा जिन जिलों को औपचारिक रूप से पूर्ण साक्षर जिला घोषित कर दिया गया है उनमें 78 जिलों से अधिक जिलों में उत्तर साक्षरता कार्यक्रम शुरू कर दिए गए हैं ताकि नव साक्षरों को और अधिक शिक्षण सुविधाएँ प्रदान की जा सकें।

श्रमिक विद्यापीठ

श्रमिक विद्यापीठ योजना कामगारों की अनौपचारिक शिक्षा का एक कार्यक्रम है। श्रमिक विद्यापीठ योजना शहरी, अर्ध शहरी, बागानों, खानों तथा औद्योगिक क्षेत्रों के श्रमिकों और उनके पारिवारिक सदस्यों जो कि विभिन्न क्षेत्रों, ^{उद्योगों,} व्यापारिक प्रतिष्ठानों, खानों, बागानों विनिर्माण तथा सविस्तीर्ण घाटों तथा अन्य संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत हैं, की शैक्षिक

व्यावसायिक तथा अपने उद्यम के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता का प्रतीक बन गई है ।

2. यह योजना 1967 में आरंभ की गई थी ।- इस समय राज्य सरकार/विश्वविद्यालय/स्वैच्छिक एजेंतियों/केन्द्रीय सरकार द्वारा देश के भिन्न-भिन्न भागों में 38 श्रमिक विद्यापीठें चलाई जा रही हैं ।

साक्षरता और उत्तर साक्षरता अभियानों की स्थिति
राष्ट्रीय पुनरावलोकन

1. प्रस्तावना

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने अब तक 23 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए देश के जिलों की कुल संख्या में से लगभग आधे जिलों में साक्षरता अभियानों को संस्वीकृत किया है। प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, भारत सरकार इन परियोजनाओं की प्रगति का तत्त निरीक्षण कर रहा है।

2. साक्षरता और उत्तर साक्षरता परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने अब तक 258 जिलों १224 जिलों में पूर्णतः तथा 34 जिलों में अंशतः १ में कार्यान्वित की जा रही 238 साक्षरता परियोजनाओं को संस्वीकृत किया है। इसके अतिरिक्त 57 उत्तर साक्षरता परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं जिनके अंतर्गत 80 जिले शामिल होंगे। परियोजनाओं/जिलों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाली सारणी नीचे दी गई है:-

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	संस्वीकृत संपूर्ण साक्षरता अभियान परियोजनाओं की संख्या	शामिल किए गए जिलों की संख्या		कुल	संस्वीकृत उत्तर साक्षरता परियोजनाओं की संख्या
			पूर्णतः	अंशतः		
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	22	20	3	23	10
2.	असम	2	1	5	6	-
3.	बिहार	16	12	4	16	-
4.	पंजीब १यू.टी. १	1	1	-	1	-
5.	दमन एवं दीव	1	1	-	1	-
6.	दिल्ली १यू.टी. १	2	-	1	1	-
7.	गुजरात	20	18	1	19	4

1	2	3	4	5	6	7
8.	गोवा	1	2	-	2	-
9.	जम्मू और कश्मीर	1	1	-	1	-
10.	हरियाणा	8	8	-	8	1
11.	हिमाचल प्रदेश	12	12	-	12	2
12.	केरल	2	14	-	14	1
13.	कर्नाटक	18	16	2	18	7
14.	मध्य प्रदेश	31	21	7	28	5
15.	महाराष्ट्र	16	15	1	16	6
16.	उड़ीसा	12	11	-	11	3
17.	पंजाब	1	-	6	6	-
18.	पांडिचेरी (यू. टी.)	1	4	-	4	1
19.	राजस्थान	8	8	-	8	2
20.	तमिलनाडु	17	17	-	17	8
21.	त्रिपुरा	1	1	-	1	-
22.	उत्तर प्रदेश	31	28	3	31	-
23.	पश्चिम बंगाल	14	13	1	14	7
योग		238	224	34	258	57

3. साक्षरता परियोजनाओं की स्थिति:

इस अभियान के शुरू किए जाने से लेकर अब तक साक्षरता अभियानों के अंतर्गत राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के साक्षरता संबंधी मानदंडों को प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों की कुल संख्या तथाकथित 18.32 मिलियन तक पहुंच गई है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के शुरू किए जाने से लेकर अब तक साक्षर शिक्षार्थियों की कुल संख्या तथाकथित 37.05 मिलियन हो गई है।

§क§ साक्षरता परियोजनाओं के माध्यम से शामिल किए गए निरक्षरों की स्थिति

साक्षरता परियोजनाओं के माध्यम से 15-35 के आयु वर्ग में शामिल किए गए निरक्षरों की राज्यवार प्रतिशतता निम्नलिखित है:

आंध्र प्रदेश	90.10	केरल	389.83 *
असम	12.02	मध्य प्रदेश	17.84
बिहार	15.51	महाराष्ट्र	47.25
छत्तीसगढ़	101.92*	उड़ीसा	74.99
दिल्ली	4.27	पॉण्डिचेरी	183.63 *
गोवा	134.66 *	पंजाब	6.73
गुजरात	95.16	राजस्थान	21.74
हरियाणा	57.42	तमिलनाडु	56.46
हिमाचल प्रदेश	121.93 *	उत्तर प्रदेश	16.28
कर्नाटक	63.21	पश्चिम बंगाल	120.04 *

* ऐसे राज्य/संघ शासित प्रदेश जो 15-35 आयु वर्ग से अधिक आयु वर्ग के निरक्षरों को शामिल किया है।

असम, बिहार, दिल्ली, दमन और दीव, जम्मू और कश्मीर मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश को साक्षरता कार्यक्रमों के अंतर्गत और अधिक परियोजनाएं तैयार करना है तथा उन्हें शुरू करना है ताकि सहभागिता को बढ़ावा जा सके ।

विभिन्न राज्यों की लक्षित कवरेज की तुलना में नव साक्षरों की राज्य स्तरीय समस्त उपलब्धि प्रतिशतता निम्नलिखित है:-

आंध्र प्रदेश	39.11	केरल	55.65
असम	0.00	मध्य प्रदेश	58.91
बिहार	7.71	महाराष्ट्र	35.29
चंडीगढ़	31.66	उड़ीसा	20.32
दिल्ली	20.69	पांडिचेरी	50.88
गोवा	49.60	राजस्थान	35.58
गुजरात	31.52	तमिलनाडु	43.38
हरियाणा	5.94	उत्तर प्रदेश	6.72
हिमाचल प्रदेश	14.10	पश्चिम बंगाल	48.20
कर्नाटक	36.08		

आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र पांडिचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल कार्यक्रम के साक्षरता चरण में अच्छा कर रहे हैं । असम, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश को कार्यक्रम के अंतर्गत और अधिक उपलब्धि के लिए प्रयास करना है ।

§ 3 § समग्र स्थिति:

साक्षरता परियोजनाओं द्वारा की गई प्रगति की बेहतर जानकारी प्राप्त करने के लिए इन्हें उपलब्धि की प्रतिशतता के आधार पर पुस्तक III के लिए चार श्रेणियों में बांटा गया है अर्थात् 1 § 50% और इससे अधिक 2 § 35% से 50% 3 § 20% से 35% और 4 § 20% से कम ।

नीचे दी गई स्मरणी से यह देखा जा सकता है कि संस्वीकृत 238 परियोजनाओं में से अब तक 97 परियोजनाओं से पुस्तक III के लिए उपलब्धि की रिपोर्ट मिल रही है, 43 परियोजनाओं ने 6 माह की प्रथम अवधि पूरी की है तथा वे प्रगति पर हैं तथा 98 परियोजनाएं नई हैं ।

ऐसी परियोजनाओं/जिलों की संख्या 46 तक पहुंच गई है जिनसे 50% और इससे अधिक उपलब्धि की रिपोर्ट प्राप्त हुई है । द्वितीय श्रेणी अर्थात् 35% से 50% की श्रेणी के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं की संख्या 12 है । तृतीय श्रेणी अर्थात् 20% से 35% की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या 14 हो गई है । अंतिम श्रेणी के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं/जिलों की संख्या 25 है ।

ऐसे परियोजनाओं की संख्या 43 है जिन्होंने 6 माह की प्रथम अवधि पूरी कर ली है तथा अब वे शिक्षण/अध्ययन चरण को शुरू करने के लिए तैयार हैं । नई परियोजनाओं की संख्या 98 है ।

विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत जिलों/परियोजनाओं की संख्या-

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	संपूर्ण साक्षरता अभियान परियोजनाएं	संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत परियोजनाओं की राज्यवार उद्यत्ति				प्रगति कर रही परियो-जनाएं	नई परियो-जनाएं
			50% और इतसे अधिक	35% से 50%	20% से 35%	20% से कम		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	22	5	4	5	1	1	6
2.	असम	2	-	-	-	1	1	-
3.	बिहार	14	-	-	1	5	-	10
4.	चंडीगढ़	1	-	-	1	-	-	-
5.	दमन और दीव	1	-	-	-	-	-	1
6.	दिल्ली	2	-	-	1	-	-	1
7.	गुजरात	20	4	-	1	-	5	10
8.	गोवा	1	-	1	-	-	-	-
9.	हरियाणा	8	-	-	1	2	4	1
10.	हिमाचल प्रदेश	12	-	1	1	2	8	-
11.	जम्मू और कश्मीर	1	-	-	-	-	-	1
12.	केरल	2	2	-	-	-	-	-
13.	कर्नाटक	18	4	1	-	2	3	8
14.	मध्य प्रदेश	31	6	1	-	2	2	20
15.	महाराष्ट्र	16	6	1	-	2	3	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	उड़ीसा	12	-	3	1	2	2	4
17.	पंजाब	1	-	-	-	1	-	-
18.	पांडिचेरी {यू.टी.}	1	1	-	-	-	-	-
19.	राजस्थान	8	2	-	1	-	1	4
20.	तमिलनाडु	17	8	-	-	-	5	4
21.	त्रिपुरा	1	-	-	-	-	-	1
22.	उत्तर प्रदेश	31	1	-	-	3	6	21
23.	पश्चिम बंगाल	14	7	-	1	2	2	2
योग		238	46	12	14	25	43	98

नवंबर, 93 तक विभिन्न संवर्गों के जिलों की प्रतिशतता को दर्शाने वाली तुलनात्मक महिना-वार स्थिति नीचे दी गई है:

जिलों की प्रतिशतता

पुस्तक III के लिए उपलब्धि	सितंबर, 93	अक्टूबर, 93	नवंबर, 93
50% और अधिक	45.74%	46.32%	47.42%
35% से 50%	12.77%	12.63%	12.37%
20% से 35%	10.64%	11.57%	14.43%
20% से कम	30.85%	29.47%	25.77%

आर दी गई गारजी में यह देखा जा सकता है कि 50% और उससे अधिक जी उपलब्ध वाले जिलों की कुल प्रतिशतता 46.32% {अस्तूबर, 93} से बढ़कर 47.42% हो गई। दूसरे संवर्ग की कुल प्रतिशतता 12.63% से घटकर 12.37% हो गई। इस संवर्ग के अंतर्गत प्रतिशतता 11.57% से बढ़कर 14.43% हो गई जो एक निश्चित विकास है। पिछले संवर्ग में परियोजनाओं की प्रतिशतता 29.47% से घटकर 25.77% हो गई।

§ 7 § ऐसे जिले/परियोजनाएं जिन्होंने साक्षरता चरण के अंतर्गत अपनी स्थिति में सुधार किया

हाल ही में जिन जिलों ने अपने कार्य में प्रशंसनीय सुधार किया है वे हैं: हैदराबाद, श्रीकाकुलम, चंडीगढ़, साबरकांथा, मांड्या, इंदौर, पुणे, रामनाथपरम, मदुरई और तिरमौर

§ 8 § जनजातीय जिलों में कार्य

अब तक संस्वीकृत 246 जिलों में से 15 जिले जनजातीय जिले हैं जिनके नाम हैं:- डांगस, सुरत, भरुच, बलसद, पंचमहल {गुजरात}, कोरापुट, सुन्दरगढ़, ^{म्यौसुर और मल्लिकानगिरी (उड़ीसा)} किन्नौर, लाहौल और स्पिति {हिमाचल प्रदेश} रायगढ़, झबआ, और रांची {बिहार} और हुंगरपर {राजस्थान}।

पुस्तक 111 के लिए केवल चार परियोजनाओं के संबंध में उपलब्धि की रिपोर्ट है, वे हैं: रायगढ़ 68.59% , डुंगरपुर 65.17% , सुन्दरगढ़ 47.66% और कोंडर 13.23% । रायगढ़, डुंगरपुर और सुन्दरगढ़ की प्रगति सराहणीय रही है ।

4. उत्तर साक्षरता परियोजनाओं की स्थिति

अब तक सत्तावन उत्तर साक्षरता परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं जिनमें पूर्णतया/आंशिक रूप से 80 जिले शामिल हैं ।

विभिन्न राज्यों में उत्तर साक्षरता कार्यक्रम में भाग लेने वाले नवसाक्षरों की राज्य स्तरीय कुल प्रतिशतता निम्न प्रकार से है:

आंध्र प्रदेश	40.19
गुजरात	14.37
हरियाणा	32.65
कर्नाटक	48.07
मध्य प्रदेश	0.64
महाराष्ट्र	41.92
उड़ीसा	28.41
राजस्थान	9.94
तमिलनाडु	52.86
पश्चिम बंगाल	8.22

इससे तत्काल यह पता चलता है कि जहाँ तक कार्यक्रम के उत्तर साक्षरता धरण का संबंध है आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने शेष राज्यों की तुलना में बेहतर कार्य किया है । गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पांडिचेरी, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कार्य को काफी आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है ।

उत्तर साक्षरता परियोजनाओं के संबंध में स्थिति की रिपोर्ट अधिक उत्साहवर्द्धक नहीं है, 57 उत्तर साक्षरता परियोजनाओं में से 40 परियोजनाओं ने प्रारम्भिक रिपोर्ट भेजी है। 17 परियोजनाओं को अभी रिपोर्ट भेजनी है।

उत्तर साक्षरता परियोजनाओं की स्थिति

₹लाखों में						
क्र. सं.	राज्य	संस्वीकृत परि- योजनाओं की संख्या	रिपोर्ट करने वाली परि-	नवसाक्षरों की प्रस्तावित संख्या	प्रवेश की संख्या	उत्तर साक्षरता केन्द्रों में शामिल होने वाली की संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	आंध्र प्रदेश	10	8	27.02	18.86	10.86
2.	गुजरात	4	2	3.20	2.76	0.46
3.	हरियाणा	1	1	0.49	0.17	0.16
4.	हिमाचल प्रदेश	2	2	0.33	--	--
5.	कर्नाटक	7	5	13.50	9.61	6.49
6.	केरल	1	-	12.22	11.00	--
7.	मध्य प्रदेश	5	2	3.08	1.08	0.02
8.	महाराष्ट्र	6	4	6.75	4.58	2.83
9.	उड़ीसा	3	3	9.36	4.15	2.66
10.	पांडिचेरी	1	-	0.51	--	--
11.	राजस्थान	2	1	3.42	2.97	0.34
12.	तमिलनाडु	8	6	15.00	10.27	7.93
13.	पश्चिम बंगाल	7	4	30.51	10.88	2.51
कुल		57	40	125.39	76.35	34.26

40 परियोजनाओं में दाखिल नए साक्षरों की संख्या 125.39 लाख के लक्ष्य की तुलना में 76.33 लाख है। तथापि उत्तर साक्षरता केन्द्रों में

शामिल होने वाले नवसाक्षरों की वर्तमान संख्या 34.26 लाख है जो लक्ष्य का 27.40% है।

6. परियोजनाएं/जिले जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है

महीने के दौरान प्राप्त प्रगति रिपोर्टों के आधार पर कुछ परियोजनाओं/जिलों को विशेष ध्यान देने के लिए चुना गया है। इन परियोजनाओं/जिलों को चार समूहों में वर्गीकृत किया गया है।

{क} ऐसी परियोजनाएं/जिले जिन्होंने छः महीने के बाद भी सर्वेक्षण परिणामों को पूरा नहीं किया है। उनकी रिपोर्ट नहीं दी है।

<u>राज्य</u>	<u>जिले/परियोजनाएं</u>
1. आंध्र प्रदेश	1. वारंगल 2. रंगारेड्डी
2. बिहार	1. तिवान
3. गुजरात	1. डांगस 2. सुरेन्द्र नगर
4. हरियाणा	1. जिंद
5. हिमाचल प्रदेश	1. मांडी और सिरमौर को छोड़कर सभी जिले
6. मध्य प्रदेश	1. छत्तरपुर 2. राजनन्दगाँव
7. तमिलनाडु	1. पेरिघार 2. तलेम
8. उत्तर प्रदेश	1. कानपुर देहात
9. पश्चिम बंगाल	1. नन्दिघा 2. पुरुलिया

§ख§ ऐसी परियोजनाएँ/जिले जिन्होंने 18 महीनों के बाद भी पुस्तक III के लिए किसी उपलब्धि की रिपोर्ट नहीं दी है।

राज्य	जिले/परियोजनाएँ
1. बिहार	1. जमशेदपुर §शहरी§ 2. राँची
2. महाराष्ट्र	1. औरंगाबाद
3. पंजाब	1. बी.जी.वी.एस. परियोजना
4. पश्चिम बंगाल	1. हावड़ा

§ग§ ऐसी परियोजनाएँ/जिले जिन्होंने 18 महीनों के बाद भी पुस्तक III के लिए 25%^{से कम} उपलब्धि की रिपोर्ट दी है।

राज्य	जिले/परियोजनाएँ
1. आंध्र प्रदेश	1. महबूबनगर §परियोजना केवल 21.09% की उपलब्धि के साथ समाप्त कर दी गई§
2. असम	1. असम विज्ञान सोसायटी §शून्य§
3. बिहार	1. मधेपुरा §13.29%§ 2. मुजफ्फरपुर §परियोजना 3.41% की उपलब्धि के साथ समाप्त कर दी गई§ 3. तहरता §0.53%§ 4. मधुबनी §24.15%§

4. कर्नाटक
 1. बीदर ₹17.02%
 2. रायचूर ₹10.30%
5. मध्य प्रदेश
 1. रतलाम ₹10.22%
 2. उज्जैन ₹1.18%
6. महाराष्ट्र
 1. परभणी ₹0.28%
7. उड़ीसा
 1. कोंझार ₹13.23%
 2. कालाहांडी ₹2.14%
8. उत्तर प्रदेश
 1. चमोली ₹2.34%
 2. फतेहपुरी ₹0.07%
9. दिल्ली
 1. दिल्ली साक्षरता समिति
₹20.69%

ITEM NO. I REPORT OF THE NDC COMMITTEE ON LITERACY

Over-view and status of Literacy Programme

A brief note on the various schemes of Adult Education is enclosed at Annexure-I. The State-wise/district-wise survey on the status and achievement of Total Literacy Campaigns (which is the principal strategy among all the Adult Education Programmes) is at Annexure-II. The major recommendation of Committee on various aspects of the literacy programme were under:

(i) Adult Education: Structural aspects

The Committee felt that there should be closer linkage between national, State and district level structures concerned with Adult Education.

A close linkage has already been established among the national, state and district structures of AE. The NLM in the Bureau of AE (Deptt. of Education) is the national apex body of AE. The NLMA is a 2-tier set-up (Council and Executive Committee) suitable empowered to implement the TLC. The EC membership includes the Education Secretary and the DAE from the States. In the EC meetings the TLC proposals are considered invariably with participation of the Education Secretary and Director of Adult Education of the concerned States, besides the District Collector. At the district level the TLC is the principal AE programme being implemented on the basis of district Action plan formulated by ZSS headed by District Collector, with membership drawn from all sections of the society. With the States' consent, the NLM has established a direct inter-action with the Collectors in respect of the TLC Programme. The Central DAE has already been made responsible for monitoring the progress of TLCs and compiling monthly Status Report on the basis of reports received from the ZSS.

(ii) Voluntary agencies

The Committee has recommended that voluntary agencies should also be encouraged and assisted to launch micro-planning projects for AE and related activities.

The role of VAs is valued in the NLM for their innovativeness and culture-specific improvisations. While the TLC is a massive effort for a district-wise coverage of lakhs of learners, the VAs are also funded for literacy programmes with a limited coverage in small areas with a difficult terrain or with special problems where TLC cannot be introduced straightaway.

(iii) Adult Education: Andragogical aspects

The Committee felt that Jathas, folk media and other communication devices should be extensively used.

It has been established that properly devised environment-building programmes of folk and performing arts aided by the print and electronic media can generate and enhance the awareness and demand for literacy among the potential learners, and establish motivation among potential workers. The SRCs have undertaken a programme of Workshops of writers and media persons at regular intervals all over the country. Apart from such efforts in the individual TLC districts, the NLM has also sponsored environment-building for mass mobilisation at the national scale. This takes the form of rallies, paidal and bicycle jathas, quick sensitisation and training camps across the different states.

(iv) State Executive Committee

The Committee recommended that in all States/UTs, a State Executive committee of NLM should be constituted with powers to process the proposal of TLC.

At the instance of NLM, some States have set up SLMA to scrutinise TLC proposals. We expect that such bodies will be constituted by this States also

(v) Involvement of Elected Representatives:

The committee also felt that elected representatives should be involved in preparation of action plans.

Members of legislatures are involved for guidance and supervision of ZSS. The professional planning, formulation of TLC rests with EC, ZSS.

In addition to the above, the following items are also placed before the Conference for consideration.

1. State Action Plans.

The National Development Council Committee has recommended that all the State Governments and UT Administrations should formulate detailed, district-by-district action plans for the State/UT to eradicate illiteracy as fast as possible, and in any case, by the year 2000 A.D. State Governments have been requested by the Government of India to formulate and submit State Action Plans for removal of illiteracy. However, except for a few States, such Plans are yet to be received from the State Governments. The importance of State Action Plans for the purpose of planning for harnessing of the national resources, mobilization of community effort, etc. cannot be over-emphasised. The State Governments may accordingly be requested to finalise and submit the State Action Plans expeditiously.

The proportion of State share in the TLCs is one-third of the cost of the TLC. In many cases, release of the central share of funds and the progress of the Total Literacy Campaign has been

impeded by the delay or want of release of the State share. A coordinated approach between the Centre and the State Governments for taking up campaigns in the State would remove unnecessary delays in release of funds. In this context, the formulation of the State Action Plan is of special importance, and would make for a proper dovetailing of the Plans of the State and Central Governments.

2. Delivery systems for 'Education For All'

The National Development Council Committee on Literacy had called for joint emphasis on Elementary Education and Adult Education and greater coordination in the delivery systems of the two sub-sectors. The spheres of Elementary Education, Adult Literacy Programmes and Non-formal Education overlap significantly and these three together constitute the segment of Basic Education. Close coordination is required in the provision of these three services in order to fulfil the targets of 'Education For All'. Successful implementation of elementary education and non-formal education programmes would effectively control the accretion of illiterates to the target age-group in the population and make the task of eradicating illiteracy more manageable. Similarly, successful literacy campaigns generate an enhanced demand for primary education services leading to better coverage. The three programmes, therefore, need to function under an integrated delivery system.

3. Convergence of services through the Post-Literacy Window & Panchayati Raj Institutions.

The focus of Post-literacy Programmes is on enabling the neo-literates to be self-reliant learners. In addition to strengthening their literacy skills, the aim is to expose the neo-literates to material which would enable them to take advantage of the opportunities created for them by various Government schemes. Various Government programmes in the health, rural development, women & Child development and other

departments should have a convergence of delivery mechanisms through the Post-Literacy Centre Window.

The new Panchayati Raj structures created through the 73rd and 74th Amendments to the Constitution have a critical role to play in the post-literacy Programme efforts to deliver a cohesive and well-designed package of services. The Post-Literacy Programme for each State must avail of these structures to realise its objective. More specifically the Post-Literacy mechanism should be used to educate and sensitize the number of women, the representatives of SC/ST and backward classes and neo-literates who are potential participants in governance, about the functioning of Panchayati Raj institutions and their own roles and responsibilities therein.

4. Administrative considerations

The Collectors/Deputy Commissioners of the districts have a pivotal role as facilitators in the Total Literacy Campaign districts. Most of the Collectors involved in TLCs have responded very enthusiastically to the programme with the support and participation of the community and this has been an important factor in the success of TLCs. Where, however, the Collectors have been transferred frequently or in the middle of a TLC the Literacy Programmes has suffered materially. Generally, the duration of a total literacy campaign ranges from 12 months to two years. Retaining a Collector through the period of the campaign is an imperative need. The Cabinet Secretary has written to the Chief Secretaries of all the States conveying the Government of India's request in this connection. Transfers of Collectors during the TLC duration are still, however, taking place frequently with consequent disruption of the programme.

Some States have included the performance in the Total Literacy Campaigns as an important area of assessment in the Annual Confidential Reports of Collectors. This has served to focus and underline the importance of the programme in the

national development effort for the district officer. It is for consideration of the other States to evolve similar assessment criteria.

At the administrative level of the Division or the region there has not been sufficient involvement of divisional and regional heads of various Government Departments in the Literacy Programmes. Officers of this level, such as Divisional Commissioners, must also be given specific and significant roles in the literacy and Basic Education Programmes in order to have better monitoring and management of these programmes.

At the Literacy Campaigns depend upon the enthusiasm and the willing and voluntary contribution of individuals from the community, and from Government Departments, a provision has been made that such officials who may be otherwise working in various departments may be deputed on a secondment basis for Total Literacy Campaigns to the Zilla Saksharta Samities. During this period the official concerned is on loan from the parent department to the Saksharta Samiti and while working in the literacy campaign continues to draw his pay, etc. from the parent department. This has enabled the ZSS to draw upon the services of many committed officials for the literacy effort. Approval of such an arrangement has however not been universal and many States have not permitted such loaning of services or are yet to take a decision in the matter. It is for consideration whether the procedure of secondment be strongly recommended to all the States to help the literacy efforts.

SCHEMES UNDER NATIONAL LITERACY MISSION**Rural Functional Literacy Projects**

Rural Functional Literacy Project (RFLP) is one of the oldest schemes initiated right with the launching of the National Adult Education Programme of 2nd October, 1978. It has been a centre based programme. On the basis of findings and recommendations of evaluation studies as also internal assessment, the scheme was re-organised and several structural changes made. Following the success of the Total Literacy Campaign, the centre based programme of RFLP has been closed down in almost all States/UTs. It is proposed to continue these projects only in the State of Jammu & Kashmir and other difficult terrains, hilly areas and isolated pockets.

Voluntary Agencies

The main objective of the Central Scheme of Assistance to Voluntary Agencies (VAs) working in the field of Adult Education is to secure extensive involvement of VAs in National Literacy Mission (NLM) for taking up responsibility for implementation of Total Literacy Campaigns (TLCs) and Post-Literacy Campaigns (PLCs) in a well-defined area for eradication of illiteracy in the age - group of 15 - 35, organisation of programmes of vocational and technical education, curriculum and material development, innovations and experimentation, evaluation, organisation of seminars and conference, publication of books and any other activity related to the objectives of NLM. So far TLC projects have been sanctioned to 71 VAs for covering about 14 lakhs learners.

Mass Programme of Functional Literacy

The scheme was launched to harness all sections of the society, particularly the student and non-student youth

in the literacy programme on a voluntary basis. The main participants are the NSS and non-NSS students of universities and colleges and recently the school students also have involved themselves in this programme. Each volunteer is expected to impart functional literacy to one or more illiterate persons. Literacy kits are provided free of cost to the volunteer through the State Resource Centre, who ^{also} undertake the training of the Master Trainers.

Total Literacy Campaigns

The National Literacy Mission, with the objective of making 80 million citizens in the age-group 15-35 literate by the year 1995, has adopted Total Literacy Campaign (TLC) as the most important strategy for eradication of illiteracy.

The TLC has positive characteristics in being area-specific, time-bound, delivered through voluntarism, cost-effective and outcome-oriented. TLC is implemented by ZSS (Zilla Saksharat Samitis) specially constituted under the District Collector, with membership drawn from all sections of the society.

As of January 1994, as many as 258 districts have been brought under the TLC with full or partial coverage, in the States of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Tripura, U.P. & West Bengal, and the UTs. of Chandigarh, Daman & Diu, Delhi & Pondicherry.

Apart from the districts which have been formally declared fully literate, post literacy programmes have been launched in 78 more districts to provide further learning opportunity to the neo-literates.

Shramik Vidyapeeth

The scheme of Shramik Vidyapeeth is a programme of non-formal education of workers. The Scheme symbolises the growing awareness of the need for educational, Vocational and occupational growth of workers, and where possible his family, employed in various sectors, industries, business concerns, mines, plantations, manufacturing and servicing units and other organised and unorganised sectors in urban, semi urban, plantation, mines and industrial areas.

2. The Scheme has been in operation since 1967. At present there are 38 Shramik Vidyapeeths being run by State Government/ University/Voluntary Agencies/Central Government in different parts of the country.

Annexure-II

STATUS OF LITERACY AND POST LITERACY CAMPAIGNS

NATIONAL OVERVIEW

1. INTRODUCTION

The National Literacy Mission has so far sanctioned Literacy Campaigns in about half of the total number of districts in the country covering 23 States/UTs. The Directorate of Adult Education, Government of India has been constantly monitoring the progress of these projects.

2. CURRENT POSITION OF LITERACY AND POST LITERACY PROJECTS

The NLM has sanctioned 238 literacy projects so far being implemented in 258 districts (224 fully and 34 partly). In addition 57 post literacy projects have been sanctioned covering 80 districts. A table showing number of projects/districts, statewise is given below :

Sl. No.	State/UT	No. of TLC Projects Sanctioned	No. of Districts Covered			No. of PL Projects Sanctioned
			Fully	Partly	Total	
1.	Andhra Pradesh	22	20	3	23	10
2.	Assam	2	1	5	6	-
3.	Bihar	16	12	4	16	-
4.	Chandigarh (UT)	1	1	-	1	-
5.	Daman & Diu	1	1	-	1	-
6.	Delhi (UT)	2	-	1	1	-
7.	Gujarat	20	18	1	19	4
8.	Goa	1	2	-	2	-
9.	Jammu & Kashmir	1	1	-	1	-
10.	Haryana	8	8	-	8	1
11.	Himachal Pradesh	12	12	-	12	2
12.	Kerala	2	14	-	14	1
13.	Karnataka	18	16	2	18	7
14.	Madhya Pradesh	31	21	7	28	5
15.	Maharashtra	16	15	1	16	6
16.	Orissa	12	11	-	11	3
17.	Punjab	1	-	6	6	-
18.	Pondicherry (UT)	1	4	-	4	1
19.	Rajasthan	8	8	-	8	2
20.	Tamil Nadu	17	17	-	17	8
21.	Tripura	1	1	-	1	-
22.	Uttar Pradesh	31	28	3	31	-
23.	West Bengal	14	13	1	14	7
Total		238	224	34	258	57

3. STATUS OF LITERACY PROJECTS

The total number of learners who are reported to have reached NLM norms of literacy under the Literacy Campaigns since launching of campaign approach has gone upto 18.32 millions. The total number of learners who have become literate since the launching of the NLM is 37.05 millions.

(A) Status of coverage through literacy projects

The state-wise position of coverage of illiterates through literacy projects in terms of percentage of illiterates covered as against those in the 15-35 age group is as under:

Andhra Pradesh	90.10	Kerala	389.83*
Assam	12.02	Madhya Pradesh	17.94
Bihar	15.51	Maharashtra	47.25
Chandigarh	101.92*	Orissa	74.99
Delhi	4.27	Pondicherry	183.63*
Goa	134.86*	Punjab	6.73
Gujarat	95.16	Rajasthan	21.74
Haryana	57.42	Tamil Nadu	56.46
Himachal Pradesh	121.93*	Uttar Pradesh	16.17
Karnataka	63.21	West Bengal	120.04*

* (The States/UTs which have sought to cover illiterates in the age groups more than 15-35 years).

Assam, Bihar, Delhi, Daman & Diu, J&K, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, Tripura and Uttar Pradesh have to prepare and take up more projects to enhance coverage under literacy programmes.

The state level aggregate achievement percentage of neoliterates vis-a-vis the targetted coverage for different States is as under

Andhra Pradesh	39.11	Kerala	55.65
Assam	0.00	Madhya Pradesh	58.91
Bihar	7.71	Maharashtra	35.29
Chandigarh	31.66	Orissa	20.32
Delhi	20.69	Pondicherry	50.88
Goa	49.60	Rajasthan	35.58
Gujarat	31.52	Tamil Nadu	43.38
Haryana	5.94	Uttar Pradesh	6.72
Himachal Pradesh	14.10	West Bengal	48.20
Karnataka	36.08		

Andhra Pradesh, Goa, Gujarat, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Pondicherry, Tamil Nadu and West Bengal have done well in the literacy phase of

the programme. Assam, Bihar, Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Orissa and Uttar Pradesh have to make sustained efforts for greater achievement under the programme.

(B) The Overall Status

For better understanding of the progress made by the literacy projects, they are classified into four categories on the basis of achievement percentage (for book III), namely 1) 50% and above 2) 35% to 50% 3) 20% to 35% and 4) below 20%.

It may be seen from the table given below that out of 238 projects sanctioned so far 97 projects are reporting achievement for book III, 43 projects have completed first six months period and they are progressing and 98 projects are new.

The number of projects/districts, which have reported achievement of 50% and above has come upto 46. The number of projects in the second category i.e. 35% to 50% achievement is 12. The number of districts under third category i.e. 20% to 35% has come upto 14). The number in the last category is 25.

The number of projects which have completed first six months period and are ready to launch the teaching/learning phase is 43. The number of new projects is 98.

No. of districts/projects under different categories

S. No.	State/UT	TLC Projs	Achievement under TLC for Projects Statewise				Projs. Prog.	New Projs
			50% & above	35% to 50%	20% to 35%	Less than 20%		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Andhra Pradesh	22	5	4	5	1	1	6
2.	Assam	2	-	-	-	1	1	-
3.	Bihar	14	-	-	1	5	-	10
4.	Chandigarh(UT)	1	-	-	1	-	-	-
5.	Daman & Diu	1	-	-	-	-	-	1
6.	Delhi (UT)	2	-	-	1	-	-	1
7.	Gujarat	20	4	-	1	-	5	10
8.	Goa	1	-	1	-	-	-	-
9.	Haryana	8	-	-	1	2	4	1
10.	Himachal Pradesh	12	-	1	1	2	8	-
11.	Jammu & Kashmir	1	-	-	-	-	-	1
12.	Kerala	2	2	-	-	-	-	-
13.	Karnataka	18	4	1	-	2	3	9
14.	Madhya Pradesh	31	6	1	-	2	2	20
15.	Maharashtra	16	6	1	-	2	3	1
16.	Orissa	12	-	3	1	2	2	4

17. Punjab	1	-	-	-	1	-	-
18. Pondicherry(UT)	1	1	-	-	-	-	-
19. Rajasthan	9	2	-	1	-	1	4
20. Tamilnadu	17	8	-	-	-	5	4
21. Tripura	1	-	-	-	-	-	1
22. Uttar Pradesh	31	1	-	-	3	6	21
23. West Bengal	14	7	-	1	2	2	2
Total :	238	46	12	14	25	43	98

A comparative month-wise position indicating percentage of districts in different categories upto November 93 may be seen below:

Percentage of Districts

Achievement for Book-III	September'93	October'93	November'93
50% & above	45.74%	46.32%	47.42%
35% to 50%	12.77%	12.63%	12.37%
20% to 35%	10.64%	11.57%	14.43%
Below 20%	30.85%	29.47%	25.77%

It may be seen from the above table that the overall percentage of districts with 50% and above achievement has gone up from 46.32% (Oct'93) to 47.42%. The overall percentage of the second category decreased from 12.63% to 12.37%. Under third category the percentage increased from 11.57% to 14.43% which is a positive development. The percentage of projects in the last category has come down from 29.47% to 25.77%.

(C) Districts/Projects which have Improved their status under literacy phase

The districts which have been appreciable improvement in performance recently are: Hyderabad, Srikakulam, Chandigarh, Sabarkantha, Mandya, Indore, Pune, Ramanathapuram, Madurai and Sirmour.

(D) Performance in tribal districts

Out of 246 districts sanctioned so far, 15 districts are tribal districts, namely, Dangs, Surat, Bharuch, Valsad, Panchamahar (Gujarat), Korapat, Sundergarh, Keonjhar and Malkangiri (Orissa), Kinnaur, Lahaul & Spiti (Himachal Pradesh), Raigarh, Jhabua and Ranchi (Bihar) and Dungarpur (Rajasthan)

Only four projects are reporting achievement for book III, they are : Raigarh 68.59%, Dungarpur 65.17%, Sundergarh 47.66% and Keonjhar 13.23%. The progress of Raigarh, Dungarpur and Sundergarh have been commendable.

4. STATUS OF POST LITERACY PROJECTS

Fifty seven Post Literacy Projects have been sanctioned so far covering 80 districts fully/partially.

The state level aggregate percentage of neoliterates participating in post literacy programmes in different states is as under:

Andhra Pradesh	40.19
Gujarat	14.37
Haryana	32.65
Karnataka	48.07
Madhya Pradesh	0.64
Maharashtra	41.92
Orissa	28.41
Rajasthan	9.94
Tamil Nadu	52.86
West Bengal	8.22

This would immediately show that the States of Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra and Tamil Nadu have done well compared to the remaining States so far as the post literacy phase of the programme is concerned. The performance of Gujarat, Kerala, Madhya Pradesh, Pondicherry, Rajasthan and West Bengal need to be substantially augmented.

The reporting status of Post Literacy Projects have not been very encouraging, out of 57 PL Projects 40 Projects have been sent initial report, 17 projects are yet to send any report.

Status Post - Literacy Projects

(in lakhs)

S.No.	State	No of Projts Sancted	No of Projts report- ing.	Proposed No of neo-litrs.	No Enrolled	No attending PL centres
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Andhra Pradesh	10	8	27.02	18.86	10.86
2.	Gujarat	4	2	3.20	2.76	0.46
3.	Haryana	1	1	0.49	0.17	0.16
4.	Himachal Pradesh	2	1	0.33	-	-
5.	Karnataka	7	5	13.50	9.61	6.49
6.	Kerala	1	-	12.22	11.00	-
7.	Madhya Pradesh	5	2	3.08	1.08	0.02

8.	Maharashtra	6	4	6.7%	4.58	2.83
9.	Orissa	3	3	9.3%	4.15	2.66
10.	Pondichery	1	-	0.5%	-	-
11.	Rajasthan	2	1	3.4%	2.97	0.34
12.	Tamil Nadu	8	8	15.0%	10.27	7.93
13.	West Bengal	7	4	30.5%	10.88	2.51
Total		57	40	125.39	76.33	34.26

The number of neo-literates enrolled in 40 Projects is reported to be 76.33 lakhs against 125.39 lakhs target. However, the number of neo-literates attending PL centres at present is 34.26 lakh which is only 27.40% of the target.

6. PROJECTS/DISTRICTS NEEDING SPECIAL ATTENTION

Some of the projects/districts have been identified for special attention on the basis of progress reports received during the month. These projects/districts are categorised into four groups.

(a) Projects/districts which have not completed/reported the survey results even after six months.

State	Districts/Projects
1. ANDHRA PRADESH	1. Warangal 2. Rangareddy
2. BIHAR	1. Siwan
3. GUJARAT	1. Dangas 2. Surendranagar
4. HARYANA	1. Jind
5. HIMACHAL PRADESH	All districts except Mandi and Sirmour
6. MADHYA PRADESH	1. Chhatarpur 2. Rajnandgaon

7. TAMIL NADU

1. Periyar
2. Salem

8. UTTAR PRADESH

1. Kanpur Dehat

9. WEST BENGAL

1. Nadia
2. Purulia

(b) **Projects/districts which have not reported any achievement for book III even after 18 months.**

State/Districts/Projects

1. BIHAR

1. Jamshedpur (Urban)
2. Ranchi

2. MAHARASHTRA

1. Aurangabad

3. PUNJAB

1. BGVS Project

4. WEST BENGAL

1. Howrah

(c) **Projects/districts which have reported less than 25% achievement for book III even after 18 months.**

State	Districts/Projects
1. ANDHRA PRADESH	1. Mehbubnagar (Project closed with only 21.09% achievement)
2. ASSAM	1. Assam Science Society (Nil)

3. BIHAR
 1. Madhepura (13.29%)
 2. Muzaffarpur (Project closed with only 8.41% achievement)
 3. Saharsa (0.53%)
 4. Madhubani (24.15%)

4. KARNATAKA
 1. Bidar (17.02%)
 2. Raichur (10.30%)

5. MADHYA PRADESH
 1. Raftam (10.22%)
 2. Ujjain (1.18%)

6. MAHARASHTRA
 1. Parbhani (0.28%)

7. ORISSA
 1. Keonjhar (13.23%)
 2. Kalahandi (2.14%)

8. UTTAR PRADESH
 1. Chamoli (2.34%)
 2. Fatehpuri (0.07%)

9. DELHI
 1. Delhi Sakshartha Samithi
20.68 %

मद सं. 2:- "सभी के लिए शिक्षा सम्बन्धी प्रस्ताव"

"सभी के लिए शिक्षा सम्बन्धी शिखर सम्मेलन और
अनुवर्ती कार्रवाई:-

नौ जनसंख्या बहुल देशों का सभी के लिए शिक्षा सम्बन्धी शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 1993 को नई दिल्ली में किया गया। इस शिखर सम्मेलन में ^{इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, भारत के प्रधान-} चीन के उप-^{मंत्री,} प्रधानमंत्री और छः अन्य देशों नामतः- बांग्लादेश, ब्राज़ील, मिस्त्र, मैक्सिको, नाइजीरिया और पाकिस्तान के राज्य/सरकाराध्यक्षों के विशेष प्रतिनिधियों के तौर पर शिक्षा मंत्रियों ने भाग लिया। उपर्युक्त देशों में विश्व की आधी से अधिक और 70% निरक्षर जनसंख्या स्थित है। वे भी विकास की समान समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तीन संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों नामतः यूनेस्को, यूनीसेफ और यू.एन.स्फ.पी.ए. के अध्यक्षों ने भी सह-प्रायोजकों के तौर पर शिखर में भाग लिया।

2. इस शिखर सम्मेलन के पूर्व दिनांक 13-15 दिसम्बर, 1993 के बीच मंत्री स्तर की पूर्व शिखर वार्ताएँ आयोजित की गई थीं। इन तीन दिनों के दौरान लगातार हुई पैनल चर्चाओं में प्रतिष्ठित शिक्षाविदों ने महत्वपूर्ण विषयों और प्रत्येक देश और समग्र विश्व समुदाय में सभी के लिए शिक्षा की चुनौतियों पर प्रकाश डाला। व्यवस्थापन, लोगों की भागीदारी और सभी के लिए शिक्षा का विकेंद्रीकरण, "बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा, महिला को अधिकार देना और जनसंख्या के मुद्दे" और " शिक्षा और समाज " जैसे विशिष्ट विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। इन पैनल चर्चाओं में सामाजिक वित्त-पोषण और सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर बल दिया गया। शिक्षा के विस्तार के लिए जन-भागीदारी के महत्व पर जोर देते हुए पैनल के प्रतिष्ठित सदस्यों ने यह कहा कि इस कार्य में सफलता के लिए स्पष्ट तौर पर परिभाषित लक्ष्य और दृष्टांत की आवश्यकता है। उन्होंने

इस बात पर जोर दिया गया कि सर्वाधिक प्रतिकूल स्थितियों और दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुँचने और सामुदायिक संसाधनों को इस्तेमाल में लाने के लिए नवीन पद्धतियों को प्रयोग में लाना चाहिए। सभी के लिए शिक्षा के विकास के लिए आने वाले वर्षों में सृजनात्मक और वैकल्पिक साधनों को प्रयोग में लाना अनिवार्य होगा। इस संदर्भ में नई टेक्नॉलॉजी की संभाव्यता का विशेष उल्लेख किया गया। गैर-सरकारी संगठनों को दी जाने वाली बाहरी वित्त-सहायता पर स्पष्ट तौर पर परिभाषित नीति की आवश्यकता पर बल दिया गया। यह मतैक्य उभर कर सामने आया है कि दाताओं को राष्ट्रीय क्षमताओं के विकास के अनुरूप विकास सहायता में वृद्धि करनी चाहिए। साधनों में कमी के कारण उचित योजना तैयार करने पर यह सुनिश्चित करने के लिए बल दिया गया कि निधियों का आवंटन सावधानीपूर्वक निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार हो। बेहतर शिक्षा, निम्न जन्म दर और उच्च आर्थिक उत्पादकता के बीच के सह-संबंध की बात दोहराई गई, किन्तु यह चेतावनी दी गई कि दाखिले के क्षेत्र में कुछ प्रगति के बावजूद लिंग समता हासिल करने के मार्ग में समाजिक और संरचनात्मक कठिनाइयाँ मुँह-फाड़े खड़ी हैं। इसके अतिरिक्त यह मतैक्य रहा कि ऐसी शिक्षा प्रदान करना महत्वपूर्ण है जो महिलाओं के जीवन से संबद्ध हो तथा समाज के सभी वर्गों में लिंग के प्रति जागरूकता का प्रयास करती हो। लगातार निर्भर होते हुए विश्व में शांति की एक संस्कृति को विकसित करना आज शिक्षा पद्धति के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। इस बात पर बल दिया गया कि शिक्षा द्वारा ऐसे सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों का प्रवर्तन होना चाहिए जो ऐसे समाज को परिलक्षित करते हों, जिस ओर हम अद्यतन जानकारी के साथ बढ़ रहे हैं। इसके अलावा नौ जनसंख्या बहुल देशों को पाठ्यक्रम में पर्यावरण संबंधी शिक्षा को जोड़ने में अग्रणी होना चाहिए ताकि विज्ञान और टेक्नॉलॉजी शिक्षा को बल मिले और विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिले।

3. पूर्व शिखर बैठकों का एक प्रमुख और ठोस निर्णय यह है कि औपचारिक स्कूली पद्धति की परिधि में न आने वाले जन समूहों तक दूरस्थ शिक्षा पहुँचाने के लिए नौ देशों को सामूहिक प्रयास करना चाहिए। इस एक निर्णय के परिणामस्वरूप शिक्षक शिक्षा, साक्षरता अनुदेशकों और शैक्षिक प्रशासकों का प्रशिक्षण और उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा के क्षेत्र में और भी अधिक दूरगामी परिवर्तन होने की संभावना है।
4. आशा की जाती है कि पूर्व शिखर सम्मेलन और शिखर सम्मेलन में की गई चर्चाएं विश्व का ध्यान सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य और इस लक्ष्य को प्राप्त करने से संबंधित नीति के मुद्दों की ओर आकृष्ट करने में मदद करेगी। अनुभवों की भागेदारी और सामूहिक प्रयास सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक नवीन प्रेरणा भी प्रदान करेगा।
5. नौ जनसंख्या बहुल देशों का शिखर सम्मेलन दिल्ली घोषणा और इस वचन को कार्यान्वित करने के लिए एक कार्रवाई ढाँचा अपनाने और सहयोग के संभावित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का पता लगाने के साथ 16 दिसम्बर, 1993 को समाप्त हुआ।
6. इस घोषणा में स्कूल के प्रत्येक बच्चे के लिए उसकी क्षमताओं के अनुसार एक समुचित शिक्षा कार्यक्रम सुनिश्चित करने, युवाओं और प्रौढ़ों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा हेतु निजी और सार्वजनिक स्रोतों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को संघठित करने ; सभी लोगों के लिए प्रारंभिक शिक्षा की एक समेकित कार्यनीति के संदर्भ में साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में सुधार करने और उन्हें बढ़ाने ; प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विषमताओं को समाप्त करने ; प्रारंभिक शिक्षा की

कोटि और संबद्धता में सुधार करने और यह सुनिश्चित करते हुए कि राष्ट्रीय और सामुदायिक स्रोतों का एक बड़ा भाग प्रारंभिक शिक्षा और शिक्षा के लिए विद्यमान स्रोतों के प्रबंध में सुधार करने के प्रति समर्पित हों, सभी कार्यों में मानव विकास को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम प्राथमिकता प्रदान करने के लिए कहा गया है ।

7. अतः "घोषणा" में अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों और वित्तीय संस्थानों से कहा गया है कि वे इन देशों द्वारा अपनी राष्ट्रीय क्षमताओं में विस्तार करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का भरपूर समर्थन करें और ऐसे निवेश पर पूर्व निर्धारित सीमा लगाए बिना शिक्षा को एक विवेचनात्मक निवेश के रूप में मान्यता दें । तथापि, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केवल उत्प्रेरक अथवा समर्थक हो सकता है । ये प्रत्येक देश के प्रयास ही होंगे जो मुख्यतया उनमें से प्रत्येक के लिए सभी के लिए शिक्षा की उपलब्धि की गति निर्धारित करेंगे ।

8. यह परिकल्पना की गई है कि इन नौ देशों के नीति निर्धारकों, शिक्षाविदों और शैक्षिक प्रशासकों के बीच समय-समय पर परामर्श होंगे जो इस बात का मूल्यांकन करेंगे कि किस प्रकार ये देश अकेले और सामूहिक रूप से "सभी के लिए शिक्षा" के लक्ष्य को प्राप्त करने और अनुभवों को बाँटने की ओर अग्रसर हो रहे हैं ।

9. "राष्ट्रीय शिक्षा" नीति 1986 और कार्रवाई योजना, 1992 में "दिल्ली घोषणा" और "कार्रवाई ढाँचा" के प्रावधानों का पूर्वानुमान कर लिया गया था । अतः एक प्रकार से "कार्रवाई ढाँचा" में परिकल्पित सभी कार्यक्रम हमारे देश में या तो पहले से ही चल रहे हैं या फिर हमारी नीतियों और कार्यक्रमों में उनका प्रावधान है । अतः मुख्य प्रयास "राष्ट्रीय शिक्षा नीति" और "कार्रवाई योजना" का वास्तविक कार्यान्वयन होना चाहिए । राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह सुनिश्चित करने का संकल्प किया गया है कि हमें 21 वीं सदी में प्रवेश

करने से पूर्व 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को संतोषजनक कोटि की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति/कार्रवाई योजना के कार्यान्वयन कार्यक्रम में तेजी लाने की कार्रवाई मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा की जानी चाहिए।

10. विशेषताओं की ओर आते हुए, निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए:

॥क॥ सुदूर शिक्षा के लिए एक सहयोगी प्रक्रिया विकसित करना/राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, जो देश में स्कूली स्तर पर सुदूर शिक्षा का सहयोगी संस्थान है, से इस संबंध में पहल करने का अनुरोध किया जा सकता है।

॥ख॥ समय-समय पर नौ देशों के बीच परामर्श करना ताकि वे अनुभव बाँट सकें। मंत्रालय इन नौ देशों के शैक्षिक प्रशासकों और विशेषज्ञों की परामर्श बैठकें आयोजित करने की पहल कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बैठकों जैसे यूनेस्को महा सम्मेलन और क्षेत्रीय सम्मेलनों जैसी अंतर्राष्ट्रीय बैठकों सहित मंत्री स्तर पर परामर्श आयोजित किए जा सकते हैं।

॥ग॥ शिक्षा में विकेन्द्रीकृत प्रबंध संरचनाएं शुरू करना ताकि समुदायों और अभिभावकों को और अधिक अधिकार दिये जा सकें और स्कूल को अपने कार्यनिष्पादन के लिए समुदाय के प्रति और अधिक उत्तरदायी बनाया जा सकें। संविधान के 73 वें और 74 वें संशोधन ने इसके लिए पहले ही मार्ग बना दिया है। शिक्षा का विकेन्द्रीकृत प्रबंध से संबंधित के. शि. स. बो. समिति ने

शिक्षा में विकेन्द्रीकृत प्रबंध संरचना शुरू करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार कर दिए हैं। हमें केवल यह सुनिश्चित करना है कि इस संबंध में किए जा रहे प्रयासों से शीघ्रांतशीघ्र तर्कसंगत लक्ष्य प्राप्त किये जा सकें।

- ४४ अध्यापकों के लिए कार्यनिष्पादन मानदण्डों व आचरण संहिता का विकास। इस सम्बंध में राष्ट्रीय अध्यापक परिषद ४ अध्यापक शिक्षा प्रभाग ४ कदम उठा सकता है।
- ४५ प्राथमिक शिक्षा व प्रौढ़ शिक्षा दोनों में जिला विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रमों का विकास। देश में सकल साक्षरता अभियान पहले से ही चल रहे है तथा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम अभी आरंभ किए गए हैं। इन दोनों कार्यक्रमों में प्रयास और बढ़ाए जाने अपेक्षित हैं।
- ४६ बुनियादी शिक्षा के लिए बढ़ाए गए प्रावधानों के साथ शिक्षा के लिए बजट, कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 6% तक बढ़ाया जाना।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

राष्ट्रीय शिक्षा नीति व इसकी कार्रवाई योजना के अनुसरण में प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण को प्राप्त करने के लिए "जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम" शीर्षक से एक नया कदम उठाया गया है। इस कार्यक्रम में, प्राथमिक शिक्षा विकास के लिए व्यापक दृष्टिकोण है तथा जिला विशिष्ट योजना व अलग-अलग लक्ष्य निर्धारण द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की नीति को कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया गया है। योजना व प्रबंध के लिए इस कार्यक्रम में सहयोगी प्रक्रियाओं पर बल दिया गया है तथा लिंग पर विशिष्ट ध्यान दिया गया है और अध्यापक प्रशिक्षण व विकन्द्रीकृत प्रबंध में निवेश द्वारा स्कूल की प्रभाव-शीलता बढ़ाने की माँग की गई है। कार्यक्रम में सभी स्तरों पर चाहे वह राष्ट्रीय, राज्य या स्थानीय हो, क्षमता निर्माण पर बल दिया गया है तथा यह कार्यक्रम ऐसी नीतियाँ तैयार करना चाहता है जिसे दोहराया जा सके और कायम रखा जा सके।

अभी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में ऐसे राज्य अर्थात् हरियाणा, असम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश व उड़ीसा शामिल हैं जहाँ पर बाहर से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ विद्यमान नहीं हैं। जिलों के लिए चयन मानदण्ड, ऐसे जिलों के लिए हैं, जहाँ पर महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत §199। जनगणना§ से कम है तथा जहाँ सकल साक्षरता अभियानों को सफलता मिली है जिससे प्राथमिक शिक्षा की माँग बढ़ी है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आरंभ करने के लिए हमने मंत्रिमंडल की सहमति पहले ही ले ली है। आई. डी. ए. ऋण के लिए भारत सरकार से राज्यों को निधियाँ स्थानान्तरण करने की कार्य पद्धति तैयार की जानी है तथा कार्यक्रम के प्रभावशाली कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्तर का प्रबंध ढाँचा विकसित किया जाना है। विश्व बैंक ने जो कुछ हमें दिया है वह ऋण है तथा उसे हमें वापिस करना होगा।

परियोजना के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों व केन्द्रीय सरकार तथा इसके साथ-साथ सहयोजित अन्य साझेदारों को परियोजना के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त प्रबंध ढाँचा विकसित करना अपेक्षित है।

ITEM NO.2: EDUCATION FOR ALL PROPOSALS

1. Education for All Summit and its follow-up

The Education for All Summit of Nine high population countries was hosted by India in New Delhi on 16th December, 1993. The Summit was attended by the President of Indonesia, the Prime Minister of India, Deputy Prime Minister of China and the Education Ministers as special representatives of the Heads of State/Government of six other countries -Bangladesh, Brazil, Egypt, Mexico, Nigeria and Pakistan. These countries account for more than half the world's population and 70% of the world's illiterates. They also face similar problems of development. The Heads of three UN agencies UNESCO, UNICEF and UNFPA also participated in the Summit as co-sponsors. Besides 23 international bodies also participated in the Summit.

2. The Summit was preceded by a Minister's level Pre-Summit discussions on 13-15 December 1993. In a series of panel discussions held over three days distinguished educationists and ministers reflected upon key issues and challenges facing education for all in each of the countries and in the world community at large. The deliberation focussed on specific themes like Mobilisation, People's Participation and Decentralisation of EFA", "External and Internal Financial Resources for EFA", "Girls and Women's Education, Women's Empowerment and Population issues" and "Education and Society". These panel discussions underscored the importance of social financing and community participation. Stressing the importance of involving a broad set of partners from the community to expand education, distinguished panelists also underlined that success in this endeavour required a clearly articulated goal and vision. They urged that innovative approaches must be developed to reach the most disadvantaged and remote areas and to tap the community resources. In the years to come creative and alternate means must be used to advance the cause of EFA. The potential of new technologies came in for special

mention in this context. The need for a clearly defined policy on external financing to NGOs was underlined. The consensus that emerged was that donors should increase developmental assistance consistent with development of national capabilities. In the face of scarce resources proper planning was urged to ensure that education budget continue to increase in the next decade and that funds are allocated according to a carefully considered set of priorities. The correlation between better education, lower fertility and higher economic productivity was reiterated but it was warned that despite some progress on the enrolment front deeply-rooted social and structural obstacles still stood in the way of achieving gender equality. Furthermore there ~~was~~ consensus that while it was vital to impart education more relevant to the lives of women, gender sensitivity must spread over all sections of the society. In an increasingly dependent world the building of a culture of peace was undoubtedly the first and foremost challenge facing education system today. The imperative for education to install social and spiritual values reflecting the kind of society we are striving towards combined with up-to-date knowledge was emphasised. Furthermore the Nine high population countries would have to be at the forefront in introducing environmental education into curricula strengthening science and technology education and promoting cooperation between universities.

3. A major and tangible outcome of the Pre Summit meetings has been the decision to have a nine country collaborative effort on distance education to reach out to populations not served by the formal school system. The international agencies had also readily agreed to sponsor and sustain such an effort. This single decision is expected to bring about far reaching changes in the field of teacher education, training of literacy instructors and educational administrators and more so in the field of post literacy and continuing education.

4. The discussions at the Pre Summit and the Summit are expected to help focus world's attention on the goal of Education for All and the policy issues involved in the achievement of this goal. The sharing of experiences and the common endeavour would also provide a fresh impetus to the attainment of the EFA goals.

5. The Summit of the nine high population countries concluded on 16th December 1993 with the adoption of the Delhi Declaration and a Framework of Action to implement the pledge and identify possible priority areas of cooperation.

6. The Declaration calls for ensuring a place for every child in a school for an appropriate education programme according to his or her capabilities, consolidate efforts towards the basic education for youth and adults from public and private sources, improving and extending literacy and adult education programmes within the context of an integrated strategy of basic education for all people; to eliminate disparities of access to basic education; to improve the quality and relevance of basic education and in all actions to accord to human development, the highest priority at national and other levels ensuring that a growing share of national and community resources is dedicated to basic education and improving the management of existing resources for education.

7. The Declaration therefore readily calls upon international collaborators and financial institutions to raise substantially their support for the efforts of these countries to expand their national capacities and to recognise education as a critical investment without imposing pre determined ceilings on such investment. International assistance however can only be catalytic and supportive. It would be the efforts and determination of each of the countries that would principally determine the pace of achievement of EFA for each of them.

8. It has been envisaged that there will be periodic consultation among policy makers, academics and educational administrators of the nine countries to assess how these

countries are individually and collectively proceeding towards the goal of EFA and for sharing of experiences.

9. The NPE 1986 and the POA 1992 anticipated the provisions of the Delhi Declaration and the Framework of Action. Therefore in a way all the programmes envisaged in the Framework of Action are either already underway in our country or our policies and programmes provide for them. The major effort should therefore be a real implementation of the NPE and POA. The NPE resolves to ensure that free and compulsory education of satisfactory quality is provided to all children up to 14 years of age before we enter the 21st Century. Action for intensification of the NPE/POA implementation programme needs to be taken by the Ministry of HRD and all State Governments and Union Territories.

10. Coming to specifics, the following steps need to be taken :

- a) Developing a collaborative mechanism for distance education. The National Open School, being the coordinating institution for distance education at the school level in India, could be requested to take initiative in this regard.
- b) Periodic consultations among the nine countries with a view to sharing experiences. Ministry may take the initiative of organising consultation meetings of educational administrators and experts of the nine countries. Consultations at the Minister level could be organised along with international meetings like UNESCO General Conference and Regional Conferences.
- c) Introduction of decentralised management structures in education with a view to giving greater authority to communities and parents and making the school more accountable to the community for its performance. The 73rd and 74th Constitutional amendments have already paved the way for this. A CABE Committee on Decentralised Management of Education has prepared the guidelines for introduction of decentralised management structures in education. We only have to ensure that the efforts in this regard are carried to their logical ends at the earliest.

- d) Development of performance norms and code of conduct for teachers. The National Council for Teachers Education (Teacher Education Division) could take the initiative in this regard.
- e) Development of district specific education programmes both in elementary education and in adult education. The country already has the Total Literacy Campaigns, and the District Primary Education Programme has just been launched. Efforts in both these programmes need to be intensified.
- f) Increase of the budget for education to 6% of the GNP with enhanced provisions for basic education.

2. District Primary Education Programme.

In accordance with the National Policy on Education and its Programme of Action, a new initiative to achieve Universalisation of Elementary Education has been evolved, titled "District Primary Education Programme". The Programme takes a holistic view of primary education development and seeks to operationalise the strategy for UEE through district specific planning and disaggregated target setting. The programme lays great emphasis on participatory processes for planning and management, and has a marked gender focus and seeks to enhance school effectiveness through inputs in teacher training and decentralised management. The programme also emphasises on capacity building at all levels, be in national, state or local, and seeks to evolve strategies which are replicable and sustainable.

Presently, DPEP covers those States where externally aided projects do not exist, viz., Haryana, Assam, Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu, Kerala, Madhya Pradesh and Orissa. The selection criteria for districts is those districts where female literacy rates are lower than the national "average (1991 census) and where Total Literacy Campaigns have been successful leading to an enhanced demand for elementary education. We have already obtained approval of the Cabinet for launching District Primary Education Programme. The modality of funds transfer from GOI to States for IDA loan

has to be worked out and also a national level management structure for effective implementation of the programme is to be developed. What the World Bank has given us is a loan and is to be repaid by us. The State Governments and the Central Government as well as other partners associated in the implementation of the project are required to develop a suitable management structure for effective implementation of the project.

मद 3: शिक्षा के विकेंद्रीकृत प्रबंधन पर केब समिति की रिपोर्ट

राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा कार्य योजना, 1992 में सभी स्तरों पर शिक्षा की विकेंद्रीकृत आयोजना एवं प्रबंधन तथा इस प्रक्रिया में लोगों को शामिल करने के महत्त्व पर बल दिया गया है। विकेंद्रीकरण का निहित अर्थ है - जिला, उप-जिला और पंचायत स्तरों पर निर्णय लेने में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा प्रजातांत्रिक ढंग से भागीदारी।

संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधन में जिला, उप-जिला और पंचायत/नगर पालिका स्तरों पर प्रजातांत्रिक ढंग से चुने गए निकायों को शुरू करने की परिकल्पना की गई है। इन निकायों पर आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने का दायित्व होगा। कार्य योजना, 1992 में यह प्रावधान किया गया है कि जब राज्य पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत अपने विधान तैयार करेंगे तब उनके मार्गदर्शन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मॉडल सांविधिक प्रावधान तैयार किये जाना आवश्यक होगा। अतः उक्त संवैधानिक संशोधनों के पारित होने के शीघ्र बाद शिक्षा के विकेंद्रीकृत प्रबंधन पर एक केब विकेंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति जिला, उप-जिला और ग्राम स्तरों पर शिक्षा के प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश तैयार करने हेतु गठित की गई। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 18 सितम्बर, 1993 को प्रस्तुत कर दी।

शिक्षा के विकेंद्रीकृत प्रबंधन पर गठित केब समिति की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार संवैधानिक संशोधनों के अनुसरण में जिला, ब्लॉक/तालुक स्तरों पर शैक्षिक ढांचा गठित किया जाना चाहिए। इसमें शैक्षिक प्रक्रिया में समाज को शामिल करने के तरीकों के बारे में भी सुझाव दिया गया है ताकि संशोधनों की सही भावना के अनुरूप जनता को शक्तियां हस्तांतरित की जा सके तथा संपूर्ण देश प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की दिशा में एक नए जोश के साथ आगे बढ़ सके।

समिति की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :-

- i. पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के स्तरों पर अलग से शिक्षा समिति का गठित किया जाना ।
- ii. पंचायत स्थाई समिति अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रारंभिक शिक्षा देखरेख और शिक्षा, गैर-औपचारिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण करेगी । यह पंचायत समिति से तयि गए अधिकारों के अंतर्गत मिले जुले उच्च प्राथमिक स्कूलों का भी पर्यवेक्षण करेगी ।
- iii. पंचायत समिति की शिक्षा संबंधी स्थाई समिति जिला परिषद के समग्र पर्यवेक्षण के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा, गैर-औपचारिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा देखरेख और शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक के पंचायती राज निकायों के स्कूलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगी ।
- iv. जिला परिषद की शिक्षा संबंधी स्थाई समिति के अधिकारों में निम्नलिखित अधिकार की शामिल होगा - सरकार के विद्यानिर्देशों के अधीन रहते हुए स्टाफ की भर्ती और नियुक्ति तथा वेतन के भुगतान सहित माध्यमिक स्तर तक के स्कूलों की स्थापना और उनका रखरखाव । माध्यमिक स्तर तक के सभी वर्तमान स्कूलों को जिला परिषद के नियंत्रण में स्थानान्तरित किया जाएगा । भविष्य में राज्य क्षेत्र में सभी माध्यमिक स्कूलों की स्थापना जिला परिषद द्वारा की जाएगी । समिति सरकारी नियमों के अन्तर्गत सहायता प्राप्त स्कूलों को अनुदान प्रदान करेगी । यह माध्यमिक स्तर तक के प्राइवेट स्कूलों सहित सभी स्कूलों का शैक्षिक पर्यवेक्षण भी करेगी ।

- ✓ i § नगरपालिका क्षेत्रों के सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को उनके कर्मचारियों सहित विभिन्न नगरपालिकाओं में स्थानांतरित किया जा सकता है। वे भर्ती के मामलों को छोड़कर कर्मचारियों के अ्यर नियंत्रण रहेंगी। भर्ती का कार्य राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए नामित संगठन द्वारा किया जाएगा।
- ✓ ii § राज्य सरकार को इन निकायों को उनके पास स्थानान्तरित संस्थानों का प्रबन्धन करने के लिए पर्याप्त अनुदान तथा विकास अनुदान दे सकती है।
- ✓ iii § राज्य सरकार या उपयुक्त राज्य स्तरीय निकाय सम्पूर्ण पर्यवेक्षण करेगा और अवशिष्ट शक्तियां भी उती के पास रहेंगी।

समिति की सिफारिशों निर्देशात्मक नहीं हैं, परन्तु मोटे तौर पर इनमें से उपायों के बारे में बताया गया है जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा संवैधानिक संशोधनों के आलोक में शिक्षा के प्रबन्धन के लिए किया जा सकता है। इन्हें राज्य सरकारों द्वारा अपनी परिस्थितियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने अनुकूल बनाया जा सकता है।

समिति की रिपोर्ट पर केब द्वारा 15 अक्टूबर, 1993 को हुई इसकी बैठक में विचार किया गया था। केब ने यह संकल्प किया कि 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के अनुसरण में शिक्षा में विकेन्द्रीकृत प्रबन्धन ढांचों को लागू करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा तत्काल कार्रवाई और उपाय किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय लक्ष्यों की उपलब्धियों को सुकर बनाया जा सके। इसने रिपोर्ट का समर्थन किया और राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा अपनी विशेष स्थितियों को तथा संवैधानिक संशोधनों की भावना को ध्यान में रखते हुए इसे अपने अनुकूल बनाने तथा इसके प्रभावी कार्यान्वयन की सिफारिश की।

**ITEM 3 : REPORT OF THE CABE COMMITTEE ON
DECENTRALISED MANAGEMENT OF EDUCATION**

The National Policy on Education and the Programme of Action, 1992 have emphasised the importance of decentralising planning and management of education at all levels and involving people in the process. Decentralisation implies democratic participation by elected representatives of people in the decision making at the District, Sub-district and Panchayat levels.

The 73rd and 74th Constitution Amendments envisage introduction of democratically elected bodies at the District, Sub-district and Panchayat/Nagar Palika levels. These bodies will be responsible for the preparation of plans for the economic development and social justice. The Programme of Action, 1992 provides that it would be necessary for the Ministry of Human Resource Development to prepare model statutory provisions for the guidance of States when they formulate their legislations under the Panchayati Raj Act. Hence, soon after the passing of the aforesaid Constitution amendments, a CABE [Central Advisory Board of Education] Committee on Decentralised Management of Education was set up to formulate guidelines for the management of education at District, Sub-district and Village levels. The Committee submitted its report on 18th September, 1993.

The report of the CABE Committee on Decentralised Management of Education indicates how educational structures should be set up at the District, Block/Taluk levels in pursuance

of the Constitutional Amendments. It has also suggested ways for mobilizing community participation in the educational process so that power devolves on the people in the true spirit of the amendments and the whole country could move with renewed vigour towards the goal of Universalisation of Elementary Education.

The following are the main recommendations of the Committee:

- i) Separate Education Committee to be set up at Panchayat, Panchayat Samiti and Zilla Parishad levels.
- ii) The Panchayat Standing Committee will exercise supervision over early childhood care and education, non-formal education, primary education and adult education programmes in its jurisdiction. It will also exercise supervision over composite upper primary schools under delegation of powers from the Panchayat Samiti.
- iii) The Panchayat Samiti Standing Committee on Education will be responsible for management of adult education, non-formal education, early childhood care and education and schools of the Panchayati Raj bodies upto upper primary level, under the overall supervision of the Zilla Parishad.
- iv) The powers of the Zilla Parishad Standing Committee on Education will include establishment and maintenance of schools upto secondary level including recruitment and appointment of staff and payment of salaries, subject to government guidelines. All existing schools upto

secondary level will be transferred to the control of Zilla Parishad. In future all secondary schools in the State sector will be established only by the Zilla Parishad. The Committee will also channelise grants to aided schools subject to government rules. It will also exercise academic supervision of all schools including private schools upto secondary level.

- v) The government primary, upper primary and secondary schools in the municipal areas alongwith their staff may be transferred to different Municipalities. They will have control over the staff except in matters of recruitment which will be done by an organization designated for this purpose by the State Government.
- vi) The State Government may provide adequate grants to these bodies for managing the institutions transferred to them as well as development grants.
- vii) The State Government or an appropriate State level body would exercise overall supervision and retain residuary powers.

The Committee's recommendations are not prescriptive but broadly indicate the steps which can be taken by the State Governments for management of education in the light of the Constitutional amendments. These are to be adapted by the State Governments keeping in view their situational imperatives.

The report of the Committee was considered by the CABE in its meeting held on 15th October, 1993. The CABE resolved that in pursuance of the 73rd and 74th Constitutional Amendments,

immediate action and measures need to be taken by all State Governments and UT Administrations for introducing decentralised management structures in education so as to facilitate achievement of the national goals in the field of education. It endorsed the report and commended for appropriate adaptation and effective implementation by the States and UTs keeping in view their specific situations as well as the spirit of the constitutional amendments.

IMPLEMENTATION CENTRE
Institute of Educational
and Administration,
Aurobindo Marg,
Delhi-110016
D-7940
24.02.94

NIEPA DC



D07940